न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 05 / 2019
प्रविष्टि दिनांक 10.06.2019

1. रामनारायण पुत्र लादू जाति बैरवा निवासी रतवाडा, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक (राज०)
2. चतुर्भुज पुत्र लादू जाति बैरवा निवासी रतवाडा, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक (राज०)

.....आवेदकगण

बनाम

1. मदनलाल पुत्र किशना जाति बैरवा निवासी बावडी, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक (राज०)
2. रामराज पुत्र किशना जाति बैरवा निवासी बावडी, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक (राज०)
3. रतनी पुत्री किशना जाति बैरवा निवासी बावडी, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक (राज०)
4. मु० वाख विधवा किशना जाति बैरवा निवासी बावडी, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक (राज०)
5. आवंटन सलाहकार समिति, टोडारायसिंह, जिला टोंक
6. तहसीलदार साहब, टोडारायसिंह, जिला टोंक

.....प्रतिपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970
विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 12.06.1965 वाके ग्राम बावडी

उपस्थिति : (1) श्री प्रदीप कुमार जैन, अभिभाषक आवेदक
(2) श्री हंसराज धाकड़, अभिभाषक प्रतिपक्षी सं. 1 ता 4

निर्णय

दिनांक 30/4/25

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है अप्रार्थी सं0–1 ता 4 के पिता किशना पुत्र गंगाराम जाति चमार (बैरवा) को दिनांक 12.06.1965 को आवंटन सलाहकार समिति एवं तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा भूमि खसरा नम्बर 3066 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बावडी, तहसील टोडारायसिंह में आवंटन नियम 1957 के तहत आवंटन की गई थी। आवेदक ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस प्रतिपक्षीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक आवेदक एवं अभिभाषक प्रतिपक्षीगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक आवेदक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं0–1 ता 4 के पिता किशना पुत्र गंगाराम जाति चमार (बैरवा) को दिनांक 12.06.1965 को आवंटन सलाहकार समिति एवं तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा भूमि खसरा नम्बर 3066 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बावडी, तहसील टोडारायसिंह में आवंटन की गई थी। उक्त भूमि पर आवेदकगण के पिता श्री लादू चमार (बैरवा) का आवंटन के पूर्व से ही कब्जा था और उसका कब्जा हटाये बिना ही एवं उसको नोटिस दिए बिना ही उक्त आवंटन किया गया है। खसरा गश्त गिरदावरी सम्वत 2017, सम्वत 2020 एवं सम्वत 2027 मे आवेदकगण के पिता लादू चमार का कब्जा दर्ज है।

आवेदकगण के पिता लादू चमार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समय भी नहीं दिया गया है। सारी कार्यवाही एकतरफा में की गई है। उक्त आवंटितशुदा भूमि खसरा नम्बर 3066 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा पर अतिक्रमी लादू पुत्र गणेश का कब्जा चला आ रहा था। ऐसी स्थिति मे उक्त आवंटितशुदा भूमि खाली भूमि नही थी और यदि अतिक्रमी का कब्जा है तो उक्त भूमि अलॉट नही की जा सकती, इस कारण उक्त अलॉटमेन्ट निरस्त किए जाने योग्य है।

आवंटी किशना ने अलॉटमेन्ट की शर्तों की पालना नही की है। उसे प्रथम वर्ष मे अलॉटशुदा भूमि 5 बीघा 3 बिस्वा का 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त करना आवश्यक था एवं उसके अगले वर्ष 50 प्रतिशत भूमि को काश्त करना आवश्यक था, जबकि वास्तव में उक्त आवंटितशुदा भूमि पर अलॉटी का कब्जा ही सम्वत 2022 मे नहीं था, तो फिर उक्त भूमि के अलॉटी को काश्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है, इस कारण अलॉटी द्वारा चूंकि आवंटन नियम की पालना नहीं की गई है। उक्त आवंटन अवैध है और ऐसे अवैध एवं प्रभावशून्य अलॉटमेन्ट में यदि आंवटी को उक्त भूमि की खातेदारी भी मिल जावे तो भी उक्त आवंटन निरस्त किए जाने योग्य होता है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 3066 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बावडी, तहसील टोडारायसिंह के हाल खसरा नम्बर 4183 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4185 रकबा 0.27 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 4186/4319 रकबा 0.30 हैक्टेयर है। मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है। उक्त भूमि पर आवेदक के पिता लादू का ही कब्जा शुरू से चला आ रहा था और उनकी मृत्यु के पश्चात सन् 1982 से ही आवेदकगण का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा चला आ रहा है। कब्जे के समर्थन मे खसरा गश्त गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

शुरू से ही उक्त आवंटनशुदा भूमि पर आवेदकगण के पिता एवं उनकी मृत्यु के पश्चात आवेदकगण का कब्जा चला आ रहा है। किशना को एवं उसके पुत्रो को इस आवंटन का मौके पर कब्जा ही नहीं सम्भलाया गया, इसलिए उन्हे यह जमीन कहां है, यह पता ही नही है। उन्होने कभी इस जमीन पर काश्त ही नहीं की है, इसलिए उनका आवंटन निरस्त किए जाने योग्य है।

उक्त आवंटन का सर्वप्रथम ज्ञान आवेदकगण को दिनांक 16.04.2019 को हुआ, जब प्रतिपक्षीगण सं०–1 ता 4 ने न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। उक्त आवेदन में भी उक्त प्रतिपक्षीगण ने श्योजी पुत्र धन्ना जाति गुर्जर को एवं आवेदकगण को पक्षकार बनाया है। वास्तव में उक्त श्योजी पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा, तहसील टोडारायसिंह का इस भूमि से कोई लेना देना ही नही है, किन्तु प्रतिपक्षी सं0–1 ता 4 ने जान बूझकर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पक्षकार बनाकर यह 183बी की कार्यवाही की है, जबकि उक्त भूमि पर आवेदकगण का ही सम्वत् 2017 (सन् 1960) से कब्जा चला आ रहा है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र आवेदकगण स्वीकार फरमाया जाकर साबिक खसरा नम्बर 3066 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बावडी, तहसील टोडारायसिंह जिसके हाल खसरा नम्बर 4183 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4185 रकबा 0.27 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 4186/4319 रकबा 0.30 हैक्टेयर निरस्त फरमाया जावें। अभिभाषक ने अपने कथनों की पुष्टि में खसरा गश्त गिरदावरी सम्वत 2017, सम्वत 2020 एवं सम्वत 2027, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

अभिभाषक प्रतिपक्षी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी सं0–1 ता 4 के पिता किशना पुत्र गंगाराम जाति चमार (बैरवा) को दिनांक 12.06.1965 को आवंटन सलाहकार समिति एवं तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा भूमि खसरा नम्बर 3066 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बावडी, तहसील टोडारायसिंह का आवंटन नियमानुकूल किया गया है। यदि आवेदक का भूमि पर कब्जा था तो आवेदक को आवंटन समिति के समक्ष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था परन्तु आवेदक ने आवंटन समिति के समक्ष आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया था। प्रतिपक्षी को आवंटन के 10 वर्षों पश्चात् खातेदारी अधिकार मिल चुके हैं एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। आवंटी किशना की मृत्यु हो जाने के बाद आवंटी के वारिसों के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया जा चुका है परन्तु तब भी आवेदक द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी थी। आवंटन दिनांक 12.06.1965 को किया गया था परन्तु आवेदक द्वारा लगभग 50 वर्षों पश्चात् उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। इतने वर्षों बाद प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए कोई ठोस कारण नहीं बताए है। अतः निवेदन है कि आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाकर आवंटन आदेश को यथावत रखा जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एंव मनन किया तथा पत्रावली पर आये सबूत/दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी सं0–1 ता 4 के पिता किशना पुत्र गंगाराम जाति चमार (बैरवा) को दिनांक 12.06.1965 को आवंटन सलाहकार समिति एवं तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा भूमि खसरा नम्बर 3066 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बावडी, तहसील टोडारायसिंह में आवंटित की गई थी। आवेदक ने आवंटन समिति के समक्ष आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया था। आवंटन पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट हैं कि आवंटन के समय उक्त भूमि सिवायचक थी, एवं भूमि पर किसी का कब्जा काश्त नहीं था। इससे स्पष्ट होता हैं कि उक्त भूमि आवंटन योग्य थी। आवंटी किशना की मृत्यु हो जाने के बाद आवंटी के वारिसों के नाम नामान्तकरण भी तस्दीक किया जा चुका है परन्तु तब भी आवेदक द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी थी। आवंटन दिनांक 12.06.1965 को किया गया था परन्तु आवेदक द्वारा लगभग 50 वर्षों पश्चात् उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इतने वर्षों बाद प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए कोई ठोस कारण नहीं बताए है। आवेदक ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहकार समिति एवं तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा द्वारा दिनांक 12.06.1965 को अप्रार्थी सं0–1 ता 4 के पिता किशना पुत्र गंगाराम जाति चमार (बैरवा) को भूमि खसरा नम्बर 3066 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बावडी, तहसील टोडारायसिंह में किया गया आवंटन उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर दिनांक 12.06.1965 को अप्रार्थी सं0–1 ता 4 के पिता किशना पुत्र गंगाराम जाति चमार (बैरवा) को भूमि खसरा नम्बर 3066 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम बावडी, तहसील टोडारायसिंह का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/4/25.....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सींकरिया)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक